

3/यो0स०क०-24/2022
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग

31

पत्र संख्या-

स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2026-27)

प्रेषक,

योगेश कुमार सागर भा०प्र०से०,
अपर सचिव,

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 13.4.2026

विषय:-

मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन योजना के अन्तर्गत बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य स्कीम (सामान्य + विशेष घटक) मद में रू० 23000.00 लाख (दो सौ तीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक 5725 दिनांक 27.11.2017 के क्रम में राज्य सरकार द्वारा विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं, मृत्यु अनुदान योजनाओं, विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना एवं अन्य सामाजिक सहायता योजनाओं का संचालन, मुख्यमंत्री सामाजिक सहायता एवं प्रोत्साहन छत्र योजना के अधीन कार्यान्वित करने का निर्णय लिया गया है। राज्य सरकार के संकल्प सं०- 1525 दिनांक-25.06.2025 के द्वारा पेंशन की राशि माह जून 2025 से रू० 400/- प्रतिमाह से बढ़ाकर रू० 1100/- प्रतिमाह किया गया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत राज्य योजना (सामान्य घटक) मद में रू० 20725.00 लाख तथा राज्य योजना (विशेष घटक) मद में रू० 2275.00 लाख अर्थात् कुल रू० 23000.00 लाख (दो सौ तीस करोड) मात्र के व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार दी जाती है-

(राशि रू. लाख में)

क्र०	योजना का नाम	विपत्र कोड	विषय शीर्ष	स्वीकृत राशि
1	2	3	4	5
1	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - सामान्य घटक	(51-2235601020104)	0104.31.06	20725.00
1	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना - विशेष घटक	(51-2235607890103)	0103.31.06	2275.00
कुल योग : (दो सौ तीस करोड)				23000.00

2 स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु सामाजिक सुरक्षा निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर निदेशक, सामाजिक सुरक्षा, जिला स्तर पर सभी सहायक निदेशक/प्रभारी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।

3. उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध सामाजिक सुरक्षा निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

4. राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक - 12888/वि० दिनांक-03.12.2024, 236/वि० दिनांक 09.03.2026, 2956/वि० दिनांक 25.03.2026, 314/वि० दिनांक 01.04.2026 एवं समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
5. स्वीकृत्यादेश पर संचिका संख्या-3/यो०स०क०-24/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-30/टि० पर दिनांक-08.04.2026 को आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।
6. यह स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो०स०क०-24/2022 के टिप्पणी पृष्ठ संख्या-30/टि० पर दिनांक-10.04.2026 को सचिव, समाज कल्याण विभाग के अनुमोदनोपरान्त निर्गत की जा रही है।
7. यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

13/4/26

(योगेश कुमार सागर)

अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो०स०क०-24/2022

31

/...../दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग/संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट शाखा)/विशेष कार्य पदाधिकारी, समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय/मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/वरीय प्रशासी पदाधिकारी, सक्षम, अपना घर, बेली रोड, पटना/सभी सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो०स०क०-24/2022

31

/...../दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,

ज्ञापांक- 3/यो०स०क०-24/2022

31

/...../दिनांक- 13.4.2026

प्रतिलिपि -विभागीय आई०टी० मैनेजर, को सूचनार्थ एवं उक्त स्वीकृत्यादेश की प्रति विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

13/4/26

अपर सचिव,

Q